

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही गय इनिशियल्स जज

राजस्व आयेदन संख्या 51/2024 अनयान अनुबाई बनाम भरतसिंह वगैराह

नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

10/5/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी के वकील उपरिथत। अप्रार्थीगण के नोटिस तागिल श्रेणी में प्राप्त। वकील अप्रार्थी संख्या 02 से 07 उपरिथत। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा डीगड़ा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर भूमि खसरा संख्या 884/636 रकबा 0.1537 हेक्टर, भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 से 07 द्वारा जवाब पे 1 नहीं। अतः जवाब पेश करने के अवसर बंद किए जाते हैं। अप्रार्थी संख्या 02 से 07 द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण के खेत की सीमाओं को छोड़कर प्रार्थीगण के खेत की नेखमबन्दी की जाती है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं जो उचित प्रतीत होता है।

अतः मौजा डीगड़ा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर भूमि खसरा संख्या 884/636 रकबा 0.1537 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर